संख्या-8/2023/बी-1- 558 /दस-2023

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, (बजट "क" वर्ग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 29 अगस्त, 2023

विषयः लोक निर्माण विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "केवल वर्कस से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" डी.डी.ओ. कोड आवंटन ।

महोदय,

वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनाँक 04 मई, 2022 द्वारा लोक निर्माण विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्कस से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" डी.डी.ओ. कोड आवंटित किये गये हैं तथा लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-497/23-5-2022-25 ईजी/13,दिनाँक 30 जून, 2022 द्वारा यॉत्रिक खण्ड, प्रयागराज के कार्यालय को जनपद फतेहपुर में यॉत्रिक खण्ड, फतेहपुर के रूप में पुर्नस्थापित किया गया है ।

2. उक्त के सन्दर्भ में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 04 मई, 2022 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, यॉत्रिक खण्ड, प्रयागराज को "वर्कस से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" आवन्टित डी.डी.ओ.कोड संख्या-4906 को निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर अधिशासी अभियन्ता, यॉत्रिक खण्ड, फतेहपुर को "केवल वर्कस से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी.डी.ओ.कोड संख्या-4902 आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं ।

भवदीय

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-8/2023/बी-1-558(1)-दस-2023, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फतेहपुर ।
6. लोक निर्माण अनुभाग-10.
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8.
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, निर्माण भवन, लखनऊ ।
9. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in